उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या– /2017/XXVII(9)/मनो0कर–10/2014
देहरादूनः दिनांक 2 अप्रैल, 2017

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (2) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 01 सन् 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके शासन की अधिसूचना संख्या 144/2016/XXVII(9)/मनो0कर–10/2014, दिनांक 23 अगस्त, 2016 को विखण्डित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– राज्यपाल, शासन की अधिसूचना संख्या 141/2015/मनो0कर–28/2009, दिनांक 17 अगस्त, 2015 द्वारा एरो स्पोर्ट्स पर अधिसूचित मनोरंजन कर की दरें तात्कालिक प्रभाव से लागू करने की भी स्वीकृति प्रदान करते है।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–59 (1)/2017/XXVII(9)/मनो0कर–10/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, कर (मनोरंजन कर) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक पर्यटन, उत्तराखण्ड।
3. उपायुक्त मनोरंजन कर मुख्यालय,देहरादून।
4. समस्त सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी/मनोरंजन कर निरीक्षक, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रूड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियां इस अनुरोध सहित कि इसे आसाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये, 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–9 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।

C:\Users\...\Desktop\Indra\2015-16\Rules Draft. doc

Scanned by CamScanner